

DOON VALLEY OFFICERS COOPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED

(Regd. under Co-operative Societies Act II of 1912, Regd. No. 723 dated 7-6-1966)

VASANT VIHAR, CHAKRATA ROAD,
DEHRADUN - 248006 7660441300
dvochsli@gmail.com

Ref.No:- 1428 /DVOCHSL/NewsL/33

Date: 25.05.2023

वसन्त विहार समिति समाचार पत्र— अप्रैल—जून 2023

आदरणीय मित्रों

नमस्कार एवं हार्दिक शुभकामनायें!

समिति क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित मुख्य जानकारियां निम्नानुसार है:-

1. प्रबंधन समिति के द्वारा 01.01.2023 से 30.04.2023 तक लिए गये मुख्य निर्णय :-

(i) सदस्य को विक्रय द्वारा लीज हस्तांतरण की अनुमति :-

निम्न प्रकरणों में लीज हस्तांतरण के लिए अनुमति दी गई :-

- (1) कर्नल विनय दत्ता द्वारा प्लॉट क्रमांक 92 फेज-2 की लीज का श्री चन्द्र विजय सिंह (IAS) को विक्रय द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी गई।
- (2) श्री भगवती प्रसाद भट्ट प्लॉट क्रमांक 264 फेज-2 की लीज का श्री राम विचार यादव Assistant Registrar Trades Markes (Group-A Service) Retd. को विक्रय द्वारा हस्तांतरण की अनुमति दी गई।

(ii) सदस्य के निधन के फलस्वरूप लीज का हस्तांतरण :-

निम्न प्रकरणों में सदस्य के निधन के फलस्वरूप लीज का हस्तांतरण किया गया :-

- (1) सदस्य स्व० श्रीमती वेद अहलुवालिया के निधन के फलस्वरूप, प्लॉट/भवन सं० 78 फेज-2 की लीज का हस्तांतरण श्री अरविन्द वालिया को किया गया।
- (2) सदस्य स्व० श्रीमती सुमित्रा नौटियाल के निधन के फलस्वरूप, प्लॉट/भवन सं० 68 फेज-1 की लीज का हस्तांतरण श्री विनोद नौटियाल को किया गया।

2. विकास कार्यों की प्रगति :

- (i) विवेक गुप्ता चौराहा से काली मन्दिर सड़क पर पूर्वी तरफ फुटपाथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- (ii) पार्क क्रमांक 2 की दीवार की विशेष मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया।
- (iii) पार्क क्रमांक 10 के अन्दर पैदल पथ (Walking Track) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।
- (iv) West Road 3 पर बैरियर तथा दिवार का निर्माण पूर्ण किया गया है।
- (v) West Road 5 पर सेमल वृक्ष के पास बैरियर तथा दिवार का निर्माण पूर्ण किया गया है। रोड के दूसरे छोर पर प्लॉट क्रमांक 236/2 एवं 317/2 के बीच एक बैरियर की स्थापना की गई है।

3. SOCIETY MAINTENANCE CHARGES का भुगतान :

- (i) निम्नानुसार सदस्यों द्वारा विगत वर्षों के SMC का भुगतान 31.03.2023 तक नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष	सदस्यों की संख्या	लंबित भुगतान की राशि
वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व का लंबित	10	2,18,392
2021-22	82	2,75,766
2022-23	242	10,45,924

वर्ष 2023-24 के SMC की वार्षिक राशि रू0 7201/- का भुगतान जून 2023 तक किया जाना है। अभी तक 230 सदस्यों द्वारा वर्ष 2023-24 की वार्षिक SMC राशि का भुगतान किया गया है।

जिन सदस्यों का भुगतान लंबित है, उनसे नम्र निवेदन है कि ये लंबित भुगतान शीघ्र कर सहयोग करें। यहां उल्लेखनीय है कि बकाया मूल राशि पर Bye-Laws के पैरा 35(36) के प्रावधान अनुसार 20% वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी वसूल की जाती है।

- (ii) **Online भुगतान** : सदस्यों से निवेदन है कि Online भुगतान करने पर भुगतान की रसीद सोसायटी कार्यालय में Accounts Clerk को देकर मनी रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। सोसायटी के मोबाईल नं0 7668441801 में Whatsapp से रसीद को निम्न विवरण के साथ भेजें:-

(अ) UPI/Transaction नम्बर

(ब) प्लॉट/भवन नं0 एवं फेज क्रमांक एवं सदस्य का नाम

4. सदस्यों द्वारा नामांकन (NOMINATION)

सदस्यों की नस्त्रियों के परीक्षण उपरांत यह पाया गया है कि सोसायटी के कुल 150 सदस्यों (फेज 1 के 59 तथा फेज 2 के 91) द्वारा DVOCHSL की उपविधियां (Bye-Laws) की उपविधि क्रमांक 11 में दिये प्रावधान के अनुसार अपने प्लॉट के संबंध में नामांकन नहीं किया गया है। इन सदस्यों की सूची कार्यालय के पत्र क्रमांक 1360/DVOCHSL/61 दिनांक 25.04.2023 द्वारा, DVOCHSL, Vasant Vihar A,B,C,D WhatsApp Group में दिनांक 26.04.2023 को भेजकर सभी सदस्यों को सूचना दी गई है। नामांकन के अभाव में लीज हस्तांतरण में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, अतः ऐसे सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे निर्धारित प्रारूप में सोसायटी कार्यालय में आवेदन दें।

5. सदस्यों की मृत्यु के उपरांत आवंटित भूखण्डों की लीज का हस्तान्तरण

सदस्यों के अभिलेखों के परीक्षण उपरांत यह पाया गया है कि कुल 17 सदस्यों के निधन के उपरांत उनके भूखण्डों की लीज का हस्तांतरण आवेदन के अभाव में नहीं हो पाया है। इस सदस्यों की सूची कार्यालय के पत्र क्रमांक 1360/DVOCHSL/61 दिनांक 25.04.2023 द्वारा DVOCHSL, Vasant Vihar A,B,C,D WhatsApp Group में दिनांक 26.04.2023 को भेजकर सभी सदस्यों को सूचना दी गई है। इन सदस्यों के नामित व्यक्ति/उत्तराधिकारी से निवेदन है कि वे लीज हस्तांतरण के लिए तत्काल सोसायटी कार्यालय में आकर विधिवत् आवेदन देकर लीज हस्तांतरण की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

6. सुरक्षा योजना

AGM द्वारा अनुमोदित नई सुरक्षा योजना अन्तर्गत निम्न प्रगति हुई है :-

- (i) **बेरियर निर्माण** - West Road 3 और West Road 5 पर 1-1 बेरियर का निर्माण पूर्ण किया गया है। West Road 3 पर Lovely Market - हरबंश वाला रोड प्लॉट 317 एवं 236 के बीच रोड पर साईड दिवाल निर्माण पर कुछ सदस्य एवं अन्य निवासियों द्वारा आपत्ति करने पर केवल बेरियर निर्माण कार्य कराने का निर्णय का कार्य किया गया है।
- (ii) मुख्य एवं बाहरी मार्गों पर CCTV नेटवर्क स्थापित करने हेतु निविदा का अनुमोदन किया जाकर, CCTV स्थापित करने हेतु कार्यादेश दिया जा चुका है। सोसायटी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम का निर्माण पूर्ण किया गया है।
- (iii) सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति हेतु निविदा जारी की गयी हैं।

7. टेलीफोन डायरेक्ट्री का प्रकाशन

सभी सदस्यों से सम्बन्धित जानकारी का सूक्ष्म परीक्षण एवं पुष्टि उपरान्त यह जानकारी आप सबको WhatsApp के माध्यम से दी गयी है। डायरेक्ट्री का प्रकाशन शीघ्र किया जायेगा।

8. **Bye-Laws का पालन** :- कुछ सदस्यों द्वारा Society के Bye-Laws, भवन निर्माण नियम एवं सोसायटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सभी सदस्यों का ध्यान सोसायटी की निम्न उपविधियों (Bye-Laws) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है :-

उपविधि-84 (1) : कोई भी सदस्य अपने भूखण्ड या भवन या दोनों को, सिवाय आगे वर्णित दशाओं के अपने निवास के अतिरिक्त अन्य अपयोगों में न तो स्वयं प्रयोग करेगा और न दूसरे को ऐसा करने की अनुमति देगा। निवास के लिये भवन किराये में देने के लिये प्रबन्ध कमेटी की पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

उपविधि-84 (2) : कालोनी में किसी सदस्य को व्यावसायिक गतिविधि जैसे- कोचिंग सेन्टर, गोदाम या अन्य कय विकय सम्बन्धी कार्यों जिसमें घरेलू व्यवसाय भी शामिल है, के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी। बिना प्रबन्ध कमेटी की अनुमति के कोई भी सदस्य अपने भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन को कार्यालय के उपयोग के लिये किराये पर नहीं देगा। किसी भी दशा में गैर सरकारी और व्यवसायिक कार्यालयों के लिये भवन को प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपविधि-84 (4) : समिति क्षेत्र में भूखण्ड के बाहर की भूमि पर समिति की पूर्व अनुमति तथा निर्धारित शुल्क दिये बिना किसी भी प्रकार के बोर्ड, बैनर, विज्ञापन या प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी।

उपविधि (Bye-Laws) संख्या-84 (7) : यदि कोई सदस्य समिति की उपविधियों या प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्गत निर्देश या निर्णयों यथा समिति की भूमि पर अतिक्रमण, भूखण्ड की सीमा के बाहर की भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण, पानी की निकासी में अवरोध या अपने घर का कूड़ा करकट समिति क्षेत्र में फेंकना आदि का समिति द्वारा नोटिस देने के उपरान्त भी उल्लंघन करता है तो प्रबन्ध कमेटी को अधिकार होगा कि ऐसे निर्माण कार्य को सदस्यों के खर्च से निष्प्रभावी या ध्वस्त करा दें। यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो उप पर नियमानुसार वित्तीय दण्ड लगाये। समस्त सदस्यों से सोसायटी की उपविधियों का कड़ाई से पालन करने का निवेदन है।

9. सोसायटी की वेबसाइट (Website)


सोसायटी की वेबसाइट dvochsl.com के नाम से कार्यशील है।

10. दिगत 3 माह में समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्यों का दुःखद निधन हुआ है :-

क्रमांक	प्लॉट/ भवन संख्या	सदस्य का नाम	मृत्यु की तिथि
1.	194/1	स्व0 श्री इन्दर मोहन जी	30/01/2023
2.	10/1	स्व0 श्री महेन्द्र सिंह जी	25/02/2023
3.	166/1	स्व0 श्री एस0के0 जैन जी	18/04/2023
4.	112/1	स्व0 श्री जे. एन. डौंडियाल जी	26/04/2023

वसन्त विहार समिति परिवार की ओर से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह इन पुण्य आत्माओं को शान्ति प्रदान करें तथा उनके परिवारजनों को इस आघात को सहने की शक्ति दे।

समिति के सभी सदस्यों को प्रबन्धन कमेटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।


धीरेन्द्र शर्मा
सभापति